नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

प्रथम लिंक अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

कमलसिंह

बनाम

धनसिंह के कायम मुकाम रतनसिंह इत्यादि

उपस्थित

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच

आदेश

दिनांक 18 फरवरी 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2025 बअनवान धनसिंह के कायम मुकाम रतनसिंह व अन्य बनाम कमलसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि उत्तरदाता संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खेत खसरा नम्बर 264/1465 रकबा 75 बीघा भूमि जो मुतवफी हठेसिंह पुत्र अचलसिंह को आवंटित हुई थी, उक्त आवंटित भूमि में अपना हक व हिस्सा दर्शाते हुए तथाकथित प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 से 5 द्वारा किये गये अभिवचनों एवं तथ्यों पर न तो मनन किया गया एवं न ही विश्लेषण किया गया, जबकि वास्तव में उपरोक्त खसरा की भूमि में से 60 बीघा भूमि का बेचान मूल खातेदार हठेसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने गोदपुत्र अपीलांट कमलसिंह को कर दिया था एवं उक्त बेचान के आधार पर अपीलाण्ट के नाम राजस्व अभिलेखो में खातेदारी जरिये नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर मूल खसरा नम्बर 264/1465 विभाजित होकर अपीलाण्ट के नाम नया खेत खसरा नम्बर 264/1639 स्वीकृत होकर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज है। इस प्रकार वादग्रस्त खेतों की भूमि पूर्व में मूल आवंटी हठेसिंह के कब्जे काश्त में विद्यमान रही थी एवं तत्पश्चात् अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में निरन्तर एवं निर्बाध रूप से एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें अपीलाण्ट की रहवासी पक्की ढाणी, पानी का टांका, चारागाह एवं दो ट्यूबवैल खुदवा रखे है, जिस पर निरन्तर अपीलाण्ट की तरफ से फसल बोई जा रही है, जिसका ज्ञान उत्तरदाता संख्या 1 से 5 को प्रारम्भ से ही रहा है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट को उसकी बाल्यावस्था में ही मुतवफी हठेसिंह द्वारा गोद लिया गया था एवं जीवन पर्यन्त हठेसिंह अपीलाण्ट के साथ निवासरत रहे एवं हठेसिंह के अन्तिम समय में भी अपीलाण्ट द्वारा पुत्र की भांति सेवा इत्यादि की थी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके बारहवें की रस्म, पाग बंधाई एवं समस्त सामाजिक कार्यक्रम अपीलाण्ट द्वारा उसकी ढाणी में सम्पादित किये गये थे। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश बिना विवेचन किये ही पारित किया गया है जो अपीलकर्ता के हितों तक प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। अपीलकर्ता वादग्रस्त खेतों पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उत्तरदाता संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जिससे उत्तरदाता संख्या 1 से 5 का भौतिक कब्जा प्रमाणित हो। वास्तव में उत्तरदाता संख्या 1 से 5 का रहवासी मकान ग्राम मूलाना की आबादी भूमि में बना हुआ है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 का कब्जा व काश्त विद्यमान नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारों पर रोक लगाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अपीलांट रेकर्डेड खातेदार है एवं रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस बाबत् माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना करते हुए एवं सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश को पारित करने से पूर्व अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान ही नहीं किया गया है। विधिनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र निस्तारण करते समय विधि द्वारा निर्धारित तीनों बिन्दुओं को अलग–अलग रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना न्यायोचित होता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा निर्धारित बिन्दुओं का न तो विवेचन किया है और न ही विश्लेष्ण किया है। अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं अपीलाण्ट के हकों पर अवैध रूप से रोक लगाया जाना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार पर रोक लगाया जाना न्यायोचित नहीं है और उत्तरदाता संख्या 1 से 5 के पक्ष में किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति का बिन्दु पक्ष में नहीं है, अपितु अपीलाण्ट की फसल वर्तमान में वादग्रस्त खसरों पर खड़ी है। यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में उत्तरदाता संख्या 1 से 5 अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारों मे अनुचित दखलन्दाजी की जाती है तो अपूरणीय क्षति अपीलकर्ता को होगी। ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई एवं जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फतेहगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 131/2025 बअनवान धनसिंह के कायम मुकाम रतनसिंह व अन्य बनाम कमलसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2025 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदार हठूसिंह, रेस्पो. पिता के धनसिंह एवं अपीलांट के प्राकृतिक पिता उतमसिंह तीनों भाई थे। खातेदार हठूसिंह एवं अपीलांट के पिता दोनो साथ ही निवास करते थे। खातेदार हठूसिंह की कोई औलाद नहीं थी। वादग्रस्त आराजीयात खातेदार हठूसिंह को कर्ता खानदान की हैसियत से पारिवारिक सदस्यो सहित आंवटित हुई थी। हठूसिंह लाऔलाद थे तथा अपीलांट्स के साथ ही निवास करते थे। अपीलांट द्वारा कपटपूर्वक वादग्रस्त आराजीयात अपने अकेले के नाम दर्ज करवा दी। रेस्पो. की ओर से वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे बिना अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समथ्रन में 2015(2)आर.आर.टी. 1104 की न्यायिक नजीर पेश की।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पाकिस्तानी शरणार्थी विवरण पत्र के मुताबिक खातेदार हठूसिंह एवं रेस्पो. के पिता धनसिंह पाकिस्तानी शरणार्थी रहे है। उक्त विवरण में धनसिंह एवं हठूसिंह का परिवार के सदस्यों के रूप में विवरण अंकित है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खातेदार हठूसिंह को भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर आवंटित हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनांक 27.06.1979 के मुताबिक जिन शरणार्थीयों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, उन्हें पारिवारिक सदस्यों सहित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अधीन शर्तो पर भूमि आवंटित की गई है। रेस्पो. द्वारा खातेदार हठूसिंह को एक ही परिवार की हैसियत से आवंटित भूमि संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को सरंक्षित रखने के लिए अपीलाधीन अंतरिम आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे बिना अदालत हाजा के समक्ष सीधे ही अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रथमदृष्टया न्यायोचित नहीं है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही का समुचित अवसर प्राप्त है। इन परिस्थितियों में इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2025 को यथावत रखा जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर